उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : H-33471/सी-2/सा0-348/2019 दिनांक : 9-3-2019

कार्यालय ज्ञाप

बोर्ड की 103वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–103.10 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना व उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 28.11.2018 द्वारा लाल, नारंगी व हरी श्रेणी की सहमति अवधि की वैधता के संबंध में निम्न सुझाव दिये गये है :–

".............In order to have uniform consent mechanism throughout the country, it was again requested on 23.10.2018 to adopt the CPCB's recommendation of consent validity period as 05 years, 10 years and 15 years for red, orange and green categories of industries respectively......."

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 28.11.2018 द्वारा दिये गये सुझावों एवं उद्योगों हेतु सरलीकृत व्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञाप संख्या–जी 25268/189/2016–17 दिनांक 06.10.2017 एवं कार्यालय आदेश संख्या–एच 24045/32/2018 दिनांक 26.07.2018 का अतिक्रमण करते हुए लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु एक साथ प्रदान की जाने वाली संचालन सहमति की अधिकतम अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	विवरण	निर्णित सहमति की अवधि
1.	लाल श्रेणी के प्रदूषण कारी उद्योग	05
2.	नारंगी श्रेणी के उद्योग	10
3.	हरी श्रेणी के उद्योग	15

उपरोक्तानुसार उद्योगों से सहमति प्राप्त करने संबंधी पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदित की जानी है, उतनी अवधि का निर्धारित सहमति शुल्क एक साथ देय होगा तथा सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सहमति आदेश निर्गत किया जाएगा ।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित इकाई का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाना व सहमति शर्तों की अवहेलना की स्थिति में सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत सहमति खण्डित भी की जा सकेगी ।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे ।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक – उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक ।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रण अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी ।
3. वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
4. गार्ड फाइल।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)